उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
संख्या-11/2020/225/बावन-1-2020-21(पी0एम0जे0वी0के0)/19
लखनऊ: दिनांक 05 फरवरी, 2020

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-6/2020/182/बावन-1-2020-21(पी0एम0जे0वी0के0)/19 दिनांक 24 जनवरी, 2020 द्वारा जनपद बरेली के बरेली हेडक्वाटर में प्रस्तावित राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज के निर्माण हेतु प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- उक्त शासनादेश के पृष्ठ संख्या-5 के क्रमांक-5 पर प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन के स्थान पर **प्रमुख सचिव, अयूष विभाग उ0प्र0** शासन तथा पृष्ठ संख्या-5 के ही क्रमांक-8 पर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन के स्थान पर **निदेशक, यूनानी सेवायें उ0प्र0 लखनऊ** पढा जाय।

3- उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

रवि शंकर मिश्र
उप सचिव।

संख्या-225(1)/बावन-1-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- प्रमुख सचिव, आयुष विभाग उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत रा0 यूनानी मेडिकल कालेज के निर्माण की गुणवत्ता अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाना निवेदित है कि प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिये केन्द्र/राज्य सरकार के किसी अन्य मद से अनुदान प्राप्त न किया गया हो।
7- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- निदेशक, यूनानी सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
11- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

12- प्रबन्ध निदेशक, **उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लि0** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत रा0 यूनानी मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

13- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

14- जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, **बरेली** ।

15- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।

16- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।